ए एफ आर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित रखा गयाः 14.06.2023

आदेश पारित किया गयाः 19.06.2023

डब्लू पी सी क्र० 1276/2023

ाइएमआरआाइ ग्रीन हेल्थ् सर्वेसेस द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री असीम अशीष कुलेश, पिता श्री एम०के०कुलेश, उम्र लगभग 41 वर्ष, पंजीकृत कार्यालय @ देवर यामजाल, मेडचल रोड़, सिकंदराबाद-500078, तेलांगाना, भारत

-------------- **याचिकाकर्ता**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

1. छ०ग० राज्य द्वारा,
सचिव, पशुधन विकास विभाग, भू-तल, ब्लॉक नं- 03,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन कोड- 492001
2. संचालक संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं,
भू-तल, ब्लॉक नं- 03,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन कोड- 492001
3. छत्तीसगढ़ इंफोर्टेक एवं बायोटेक प्रमोशन समिति (चिप्स),
स्टेट डाटा सेंटर, नया सर्किट हाउस के सामने, सिविल लााइन्स,
रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001,
4. छ०ग० ाइ-प्रोक सिस्टम टीम स्टेट डाटा सेंटर,
नया सर्किट हाउस के सामने, सिविल लााइन्स,
रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001,
5. बाव्या हेल्थ सर्विसेज निजी सीमित द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि
59A-21/7-10, प्रथम तल, रामदेव अपार्टमेंटस,
पंता कालुवा रोड, पटामाता, विजयवाड़ा

------- उत्तरदातागण

(वाद–शीर्षक केस इनफोर्मेशन सिस्टम से लिया गया)

....

याचिकाकार्ता हेतुः श्री ब्रायन दा सिल्वा विद्वान वरिष्ठ को सहायता प्रदानकर्ता श्री अनीमेश वर्मा एवं श्री सौम्या राय, अधिवक्तागण

राज्य–उत्तरदाता गण हेतुः श्री सतीश चंद्र वर्मा विद्वान महाधिवक्ता को सहायता प्रदानकर्ता श्री विक्रम शर्मा विद्वान उपशासकीय अभिभाषक

उत्तरदाता क्रमांक 05 हेतुः श्री योगेश पांडे, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय श्री रमेश सिन्हा , मुख्य न्यायाधीश</u>

<u>माननीय श्री राकेश मोहन पांडे, न्यायाधीश</u>

<u>सी ए व्ही आदेश</u>

<u>श्री रमेश सिन्हा , मुख्य न्यायाधीश द्वारा</u>

श्री अनीमेश वर्मा एवं श्री सौम्या राय, अधिवक्तागण से सहायता प्राप्त याचिकाकार्ता के अधिवक्ता श्री ब्रायन दा सिल्वा विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता, श्री विक्रम शर्मा विद्वान उप शासकीय अभिभाषक से सहायता प्राप्त राज्य/उत्तरदाता क्रमांक 01 से 04 की आ ेर से उपस्थित हो रहे श्री सतीश चंद्र वर्मा विद्वान महाधिवक्ता तथा उत्तरदाता क्रमांक 05 के लिए उपस्थित हो रहे श्री योगेश पांडे, विद्वान अधिवक्ता को सुना गया ।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्मलिखित अनुतोष का निवेदन किया हैः

> *"10.1 ई–मेल के माध्यम से दिनांक 28.02.2023 को प्रेषित सूचना (अनुलग्नक P/10) के अनुसार याचिकाकर्ता की बोली को निरस्त करने, जो कि विधिक दृष्टि से सही नहीं है, को रद्द करने हेतु उत्प्रेषण प्रकृति की रिट जारी किया जावे।*
>
> *"10.2 उत्तरादाता क्रमांक 05 को एल–1 बोली लगाने वाला माने जाने के उत्तरदाता प्राधिकारीगण के निर्णय को रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति की रिट या कोई अन्य रिट जारी किया जावे।*
>
> *"10.3 याचिकाकर्ता की बोली पर अनुकूल रूप से विचार कर और याचिकाकर्ता को सफल बोली लगाने वाला घोषित कर इसके पश्चात होने वाले परिणामों का हकदार होने हेतु उत्तरदातागण को निर्देशित करने के लिए परमादेश रिट या कोई अन्य प्रकृति की रिट जारी किया जावे।*
>
> *"10.4 इस माननीय न्यायालय को प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में उचित और न्याय–संगत प्रतीत होने वाले कोई अन्य अनुतोष प्रदान करने हेतु।*
>
> *"10.5 व्यय को भुगतान याचिकाकर्ता को प्रदान किया जावे।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकार्ता एक गैर लाभकारी सामाजिक कल्याण आधारित संगठन होकर सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में कार्य करता है, जिसे पूर्व में जी वी के र्इएमआरआर्इ के नाम से जाना जाता था, जिसे भारत में अापातकालीन प्रबंधन सेवाआें में अग्रणी होकर 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। याचिकाकार्ता ‘108 आपातकालीन सेवा' के माध्यम से चिकित्सा, पुलिस अौर अग्निशमन संबंधी आपात स्थितियों को संभालती है आैर याचिकाकर्ता को छ०ग० राज्य में कर्इ परियोजनाएं प्रदान की गर्इ है।

4. उत्तरदाता क्रमांक 02, जो कि संचालक संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं है, ने एक कॉल सेंटर के साथ छ०ग० राज्य के विभिन्न स्थानों पर चलित पशु चिकित्सा इकार्इयों(इसके पश्चात ‘एमव्हीयू’ के रूप में निरूपित) की सेवाआें की उपलब्धता सहायक संस्था को किराए पर लेने हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध (इसके पश्चात ‘आरएफपी’ के रूप में निरूपित) निविदा क्रमांक 6892/एलएच & डीसी/र्इ–प्रॉक/आर एफपी एमव्हीयू/2022, दिनांक 14.12.2022 जारी किया था। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 04.01.2023 थी तथा तकनीकी बोलियां दिनांक 04.012023 को शाम 04:00 बजे खोली जानी थी। जिसके बाद उत्तरदाता क्रमांक 02 ने दिनांक 23.12.2022 को एक शुद्धिपत्र जारी किया तथा निविदा की कुछ शर्तों को संशोधित करते हुए दिनांक 03.01.2023 को पुनः शुद्धिपत्र जारी किया। बोली जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 09.01.2023 तक बढ़ार्इ गर्इ तथा तकनीकी बोली को खोलने की तिथि दिनांक09.01.2023 को शाम 04:00 बजे तक संशोधित की गर्इ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता के पास अनुबंध कार्य हेतु वांछित योग्यता एवं अनुभव होने के कारण वह निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उत्सुक था, जिस प्रासंगिक समय पर याचिकाकर्ता "जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यू" के नाम से जाना जाता था आ़ैर पश्चात में राजिस्ट्रार आ़ॅफ समिति से वांछित अनुमति के बाद याचिकाकर्ता संगठन का नाम बदलकर 'इएमआरआ़इ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज' हो गया था आ़ैर याचिकाकर्ता के समिति का 'इएमआरआ़इ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज' के नाम से पंजीयन का एक संशोधित प्रमाण पत्र प्रभावी दिनांक 21.09.2022 से जारी किया गया था। याचिकाकर्ता पूर्व में छ०ग० इ–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपने पुराने नाम पर पंजीकृत था तथा बाद में नए नाम से विचाराधीन निविदा में भाग लेने हेतु दिनांक 03.01.2023 को उसने इ–मेल के माध्यम से छ०ग० इ–प्रोक्योरमेंट पोर्टल टीम को याचिकाकर्ता के संगठन का पंजीकरण 'इएमआरआ़इ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज' बदलने हेतु सहायता के लिए अनुरोध किया । उत्तरदाता क्रमांक 03 द्वारा आगे सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता को इ–प्रोक्योरमेंट पोर्टल से अपने फर्म/संगठन को निष्क्रिय आ़ैर PAN को उन्मुक्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ नये पंजीयन हेतु पुनः आवेदन करना होगा, चूंकि बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 09.01.2023 थी, इ–प्रोक्योरमेंट पोर्टल टीम की सलाह पर याचिकाकर्ता ने जीव्हीके इएमआरआ़इ लॉगिन पंजीयन का उपयोग कर अपनी बोली प्रस्तुत किया, किंतु नये नाम, जो कि 'इएमआरआ़इ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज' है, से सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने 'जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट' से 'इएमआरआ़इ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज' नाम परिवर्तित होने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के बारे में उत्तरदातागण प्राधिकारीगण को सूचित करते हुए घोषणा भी प्रस्तुत किया था।

6. याचिकाकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात उसे अपनी बोली के संबंध में कोई प्रतिकूल सूचना नहीं मिली, तथापि विभाग के अधिकारियों ने याचिकाकार्ता से जीव्हीके ईएमआरआई के लॉगिन आई.डी के माध्यम से बोली प्रस्तुत किए जाने के संबंध में स्पष्टिकरण चाहा था। आगे यह भी अभिकथित है कि याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि दिनांक14.02.2023 एवं 16.02.2023 को उत्तरदाता क्रमांक 02 के कार्यालय में उपस्थित होकर याचिकाकर्ता के संगठन के नाम बदलने से संबंधित विषय के संबंध में स्पष्टिकरण प्रस्तुत किए।

7. इसके पश्चात छत्तीसगढ़ ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल टीम ने याचिकाकर्ता को एक ई–मेल दिनांक 28.02.2023 प्रेषित किया था, जिसमें तकनीकी–व्यवसायिक मूल्यांकन के दौरान याचिकाकार्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को निरस्त कर दिए जाने की जानकारी दी गई थी, और बोली को निरस्त किए जाने का कारण दर्शाया गया था कि "बोली दिनांक, अर्थात 09.01.2023 को, बोली लगाने वाला जीव्हीके ईएमआरआई का अस्तित्व नहीं है" और इस कारण, आरएफपी धारा 1, खण्ड 3.1(a) के अंतर्गत बोली स्वीकृत किए जाने योग्य नहीं है।

8. दिनांक 28.02.2023 के ई–मेल के उत्तर में याचिकाकर्ता ने अविलंब दिनांक 01.03.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर प्राधिकारीगण को निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, क्योंकि संगठन का केवल नाम परिवर्तित हुआ था जबकि संगठन वही था और अभी भी अस्तित्व में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है। आगे यह भी अनुरोध किया था कि याचिकाकर्ता के इस अभ्यावेदन के निराकरण तक निविदा को अंतिम करने हेतु उत्तरदाता क्रमांक 02 कोई कार्यवाही न करें।

9. उत्तरदाता प्राधिकारीगण ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को निराकृत नहीं किया और निविदा प्रक्रिया में आगे कार्यवाही किया, जिसमें उत्तरदाता क्रमांक 05 को सबसे कम बोली लगाने वाला पाया गया था।

10. राज्य/उत्तरदाता क्रमांक 01 से 04 ने दिनांक 27.03.2023 को जवाब–शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि निविदा प्रक्रिया को चुनौती देने हेतु 'ईइएमआरआईइ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज' के नाम व शैली से प्रस्तुत यह वर्तमान याचिका प्रचलन योग्य नहीं है, क्योंकि याचिका के ई इ एम आर आईइ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के नाम पर प्रश्नगत निविदा में कोई बोली लगाने वाला नहीं है। आगे यह अभिकथन किया गया है कि प्रश्नगत निविदा उत्तरदाता प्राधिकारीगण की ओर से द्वितीय अवसर है और प्रथम अवसर पर जिस समान कार्य हेतु निविदा क्रमांक 591/एलएच & डीसी–डी–प्रॉक/आरएफपी, दिनांक 27.10.2022 जारी किया गया है, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक आर/1 के रूप में संलग्न है। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 09.12.2022 थी और इस दिनांक तक, तीन बोली लगाने वालों नामतः जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कम्यूनिटी एक्शन द्वारा मोटिवेशन प्रोग्राम तथा एवं भव्या हेल्थ सर्विसेस प्रा. सीमित, रायपुर ने भाग लिया। चूंकि जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट केलॉगिन आई०डी० से भाग लिया था,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु दस्तावेजों को ाईएमआरआाई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के नाम पर प्रस्तुत किया था, प्रथम अवसर पर सक्षम बोली लगाने वालों की संख्या तकनिकी रूप से 03 से 02 तक सिमित हो गयी, इस कारण प्रथम अवसर पर छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, विशेषतः, नियम 4.3.3 पर आधारित होकर विभाग ने निविदा को रद्द कर दिया था।

11. राज्य के द्वारा आगे यह भी अभिकथन किया गया था कि निविदा आमंत्रण सूचना (इसके पश्चात 'एनआाईटी' के रूप में निरूपित) के खण्ड 1.10 के अनुसार, कोाई भी कंपनी अाौर फर्म, निविदा के जवाब में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है, किंतु वर्तमान प्रकरण में याचिकाकार्ता जो कि ाईएमआरआाई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज वह व्यक्ति नहीं है जिसने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था अपितु तथ्य यह है कि जीव्हीकेइमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इसलिए खण्ड 1.10 की शर्तों में याचिकाकार्ता को बोली लगाने वाला नहीं कहा जा सकता है, जिसे निविदा प्रक्रिया को चुनौती देने का अधिकार हो। आगे यह भी अभिकथन किया गया था कि खण्ड 2.4 के अनुसार यह आज्ञापक है कि कंपनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत फर्म साथ ही इस अधिनियम की अन्य निजी सीमित कंपनी या समिति निविदा में भाग लेने हेतु आवेदन कर सकती है। दूसरी आोर याचिकाकर्ता ने जीव्हीकेइमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से ाईएमआरआाई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के नाम परिवर्तन होने के पंजीयन के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया है, इसलिए खण्ड 3.1 के उपखण्ड (a) के आधार पर जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बोली को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि यह बोली लगाने वाला एनआाईटी के खण्ड 2.4 के अनुसार पंजीकृत नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अंतिमतः यह अभिवचनित किया गया था कि प्रारंभिक चरण पर जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बोली को निरस्त किया गया था, तब वह इस तथ्य से अवगत था कि उसे समान लॉगिन आॅइ०डी० से निविदा में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है आॅर इस तथ्य के बावजूद उसने स्वयं को ॅइएमआरॅइ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के नाम व शैली केनवीन लॉगिन आॅइ०डी० के साथ नामांकित करवाये जाने हेतु कोॅइ गंभीर प्रयास नहीं किया था।

12. उत्तरदाता क्रमांक 05 ने जवाब दिनांक 28.03.2023 में यह व्यक्त किया है कि याचिकाकार्ता ने बोली प्रस्तुत करने वाले बोली लगाने वाले के नाम व शैली को दर्शित करने वाले अंकिय हस्ताक्षर को स्वयं के पास होने के आज्ञापक आवश्यकताआॅं का अनुपालन नहीं किया है। आगे यह भी व्यक्त किया गया है कि याचिकाकर्ता को यह याचिका संस्थित करने का कोॅइ अधिकार नहीं है क्योंकि ॅइएमआरआॅइ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज प्रश्नगत निविदा में बोली लगाने वाला नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्ता की आॅर से दिनांक26.04.2023 को एक प्रत्युत्तर–शपथपत्र भी संस्थित किया था, जिसमें स्पष्टतः यह अभिकथन किया गया है कि याचिकाकर्ता तेलंगाना समिति रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2001 (इसके पश्चात 'अधिनियम, 2001' के रूप में निरूपित) के अंतर्गत एक पंजीकृत समिति है। अधिनियम, 2001 की धारा 6(3) उपबंधित करता है कि एक समिति प्रस्ताव के माध्यम से रजिस्ट्रार को पूर्व सूचना के साथ अपना नाम परिवर्तित कर सकती है। आगे यह भी अभिकथन किया गया है कि रजिस्ट्रार आॅफ सोसायटी, तेलंगाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र यह दर्शित

करता है कि जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं ॅइएमआरआॅइ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज एक ही है तथा समान इकाॅइ है, अतः उत्तरदाता प्राधिकारियों का यह दावा कि ॅइएमआरआॅइ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज ने बोली प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि यह जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसमें बोली प्रस्तुत किया है, पूर्णतः निराधार है।

14. याचिकाकर्ता के श्री अनीमेश वर्मा एवं श्री सौम्या राय, विद्वान अधिवक्ता से सहायता प्राप्त श्री ब्रायन दा सिल्वा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तार्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता संगठन, जिसका नाम जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट था को अपना नाम परिवर्तन करना पड़ा आॅैर जो कि अब ॅइएमआरॅइ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के रूप में जानी जाती है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता ने राज्य द्वारा जारी निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था, किंतु उसकी बोली को जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अस्तित्व–हिन होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि आधार पर याचिकाकर्ता की बोली को निरस्त किया गया था, वह स्वयं में गलत आॅैर अवैध है, क्योंकि इसे बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये निरस्त किया गया है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता प्राधिकारीगण इस तथ्य को समझने में असफल रहे है कि याचिकाकर्ता संगठन निरंतर अस्तित्व में रही है आॅैर केवल एक परिवर्तन नाम का हुआ है, जो कि रजिस्ट्रार आॅफ सोसायटिज, तेलंगाना द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है आॅैर नाम में परिवर्तन याचिकाकर्ता संगठन के अनुभव तथा योग्यता को प्रभावित नहीं करता है। उनके द्वारा यह निवेदन किया गया है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता प्राधिकारीगण को अपने पुराने नाम से नये नाम के पंजीयन के लिए परिवर्तन हेतु छत्तीसगढ़ ई–प्रोक्योरमेंट आॅनलाइन पोर्टल में संपर्क किया था तथापि याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि आॅनलाइन पोर्टल में पंजीकृत नाम को संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं था। उत्तरदाता प्राधिकारीगण ने याचिकाकर्ता के बोली को तकनीकी आधार पर निरस्त किये जाने के पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का उत्तरदाता प्राधिकारीगण के भाग का यह कृत्य इस न्यायालय के हस्तक्षेप योग्य है। यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता क्रमांक 05 एनआईटी के खण्ड 18(n) को पूर्ण नहीं करता है, क्योंकि उत्तरदाता ₹5000 की गैर–वापसी योग्य आज्ञापक प्रोसेसिंग फीस को जमा कर पाने में असफल रहा है। अंततः उन्होंने तर्क किया है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अनदेखा कर उत्तरदाता प्राधिकारीगण ने उत्तरदाता क्रमांक 05 को असम्यक पक्षपात प्रदान किया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन योग्य है। अपने निवेदनों के समर्थन में उन्होंने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा **1984 एससीसी OnLine Cal 171** (पैराग्राफ्स–19 & 20) में प्रकाशित **पायनियर प्रोटेक्टिव ग्लास फाइबर नि० लिमिटेड विरूद्ध फाइबर ग्लास पिल्किंगटन लिमिटेड** के एक निर्णय, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **1993 एससीसी OnLine All 276** (पैराग्राफ–10) में प्रकाशित**सिंभावली शुगर मिल्स लिमिटेड, सिंभावली विरूद्ध हिंदुस्तान ब्राउन बोवेरी लिमिटेड** के एक निर्णय आैर माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2015 **एससीसी OnLine P & H 18701** (पैराग्राफ–7) में प्रकाशित **मेसर्स इनोविजन लिमिटेड**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध पंजाब राज्य सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीयूएनएसयूपी) और अन्य के एक निर्णय पर अवलंब लिया है।

15. दूसरी आ ेर श्री विक्रम शर्मा विद्वान उप शासकीय अभिभाषक से सहायकता प्राप्त श्री सतीश चंद्र वर्माविद्वान महाधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पूर्व अवसर पर भी, जब निविदा को माह अक्टूबर, 2022 में जारी किया गया था, याचिकाकर्ता की बोली को समान आधार पर निरस्त किया गया था। तथापि पश्चात् में द्वितीय अवसर पर निविदा दिनांक 14.12.2022 को किया गया आ ैर क्योंकि जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अस्तित्वहीन है, जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से आवेदित दस्तावेज को सही रूप में निरस्त किया गया है। आगे यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता को निरस्ती को चुनौती देने का को इ अधिकार नहीं है, क्योंकि निरस्ती बोली लगाने वाला 'जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट' है आ ेर न कि ' इएमआरआ इ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज'। याचिकाकर्ता एनआ इटी के खंड 1.10 के अंतर्गत बोली लगाने वाला नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को छुपाया है कि पूर्व में भी निविदा दिनांक 27.10.2022 के प्रथम अवसर पर उसने भाग लिया था आ ैर समान कारणों से उसे निरस्त किया गया था आ ेर इसे चुनौती नहीं दिया गया है आ ेर उसने उत्तरदाता प्राधिकारीगण के दिये गये कारणों को स्वीकृत किया है। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि धारा 1 के खंड 2 के खंड 2.4 के अनुसार, स्वयं को पंजीकृत करना याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी है, किन्तु वह ए ेसा करने में विफल रहा है। अंत में यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता क्रमांक05 ने शुद्धिपत्र दिनांक 03.01.2023 के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुसार ₹5000 की आवश्यक गैर–वापसी योग्य फीस के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत कर दिया है, इसलिये, वित्तीय बोली को खोला गया था आैर उत्तरदाता क्रमांक 5 को 'एल–1' के रूप में घोषित किया गया था । अपने निवेदनों के समर्थन में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **(2022) एससीसी Online SC 1967 (पैराग्राफ–9)** में प्रकाशित **बालाजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और अन्य** एवं **(2022) 6 एससीसी 127** में प्रकाशित **एन०जी० प्रोजेक्ट्स लिमिटेड विरूद्ध विनोद कुमार जैन और अन्य** में प्रदत्त निर्णयों पर अवलंब लिया है।

16. उत्तरदाता क्रमांक 05 की आेर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश पांडे ने श्री वर्मा के तर्कों को स्वीकृत किया है।

17. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार आैर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।

18. आगे बढ़ने से पहले, अच्छे मूल्यांकन के लिये सुसंगत खण्डों, नामतः, धारा 1 के खण्डों 1.10, 2.4, 3.1(a) तथा 18(a) बोली लगाने वालों हेतु निर्देशों आैर भंडार क्रय नियमों के नियम4.3.3, का सार निकालना उचित होगा :

> *"1.10– " बोली लगाने वाला" से तात्पर्य फर्म/कंपनी से है, जो इस निविदा के जवाब में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।*
>
> *2.4– कंपनी अधिनियम–1956 संशोधित 2013 के अंतर्गत पंजीकृत फर्म अर्थात् निजी सीमित कंपनी, पब्लिक सीमित कंपनी, अनसीमित कंपनी,*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भागीदारी/न्यास/समिति, जो भारत में पंजीकृत है, ही केवल निविदा में भाग लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं। भागीदारी फर्मस/न्यासो/समितियों को पूरा नाम आैर अपने बाय-लॉस के साथ पते प्रस्तुत करना होगा। अधिकृत प्रतिनिधि की स्थिति में एक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित " अधिकार पत्र" (धारा III का अनुलग्नक XI के अनुसार) प्रस्तुत किया जाना चाहिये । भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख की एक स्व-सत्यापित सत्यप्रति आैर आर्टिकल्स आॅफ एसोसियेशन (ए आे ए) निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। सामान रूप से, कंपनी की दशा में मेमोरेण्डम आॅफ आर्टिकल एण्ड एसोसियेशन की स्व-सत्यापित प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

3.1 ***पूर्व – योग्यता मापदण्ड/बोली लगाने वाले की पात्रता आैर योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज*** *: परियोजना में एक बोली लगाने वाला केवल एक बोली लगाने के लिये ही योग्य है। बोली प्रपत्र के साथ अग्रलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। कोई बोली लगाने वाला नीचे विर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना एक बोली प्रस्तुत करता है, वह संक्षिप्तः निरस्त किये जाने योग्य होगा (यदि*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बोली लगाने वाला को ्इ छूट/रियायत चाहता है तो उसे छ०ग०/केन्द्र सरकार के नियमो/कानूनो/आदेशों के सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।)।

(a) बोली लगाने वाले को पैरा 2.4 में वर्णित अनुसार पंजीकृत होना चाहिये ।

*18. **निविदाआ ें की अस्वीकृति** : निविदा आमंत्रण प्राधिकारी अपने विवेकानुसार किसी या सभी निविदाआ ें को निरस्त या रद्ध करने के अधिकार को सुरक्षित रखता है :*

(a) यदि अपेक्षित बयाना राशि जमा/निविदा फीस उसमें प्रावधानित निविदा का समर्थन नहीं करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. खण्ड 1.10 "बोली लगाने वाले" की परिभाषा को उपबंधित करता है, जिसका अर्थ फर्म/कंपनी जो निविदा के जवाब में प्रस्ताव प्रस्तुत करती है । खण्ड 2.4 उपबंधित करता है कि कंपनी अधिनियम–1956 संशोधित 2013 के अंतर्गत पंजीकृत फर्म अर्थात् निजी सीमित कंपनी, पब्लिक सीमित कंपनी, अनसीमित कंपनी, भागीदारी/न्यास/समिति, जो भारत में पंजीकृत हैं, ही केवल निविदा में भाग लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं। भागीदारी फर्मस/न्यासों/समितियों को पूरा नाम आ ैर अपने बाय–लॉस के साथ पते प्रस्तुत करना होगा। अधिकृत प्रतिनिधि की स्थिति में एक नोटरी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित "अधिकार पत्र" (धारा ।।। का

अनुलग्नकXI के अनुसार) प्रस्तुत किया जाना चाहिये । भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख की एक स्व–सत्यापित सत्यप्रति आ ैर आर्टिकल्स आ ॅफ एसोसियेशन (ए आ े ए) निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। सामान रूप से, कंपनी की दशा में मेमोरेण्डम आ ॅफ आर्टिकल एण्ड एसोसियेशन की स्व–सत्यापित प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये आ ैर खण्ड 3.1 (a) उपबंधित करता है कि बोली लगाने वाले को बोली लगाने वाले हेतु निर्देशों के पैरा 2.4 में वर्णित अनुसार पंजीकृत होना चाहिये ।

20. खण्ड 18 ''निविदाआ ें की अस्वीकृति'' के शीर्षक के अंतर्गत है। खण्ड 18 (a) उपबंधित करता है कि यदि अपेक्षित बयाना राशि जमा/निविदा फीस उसमें प्रावधानित निविदा का समर्थन नहीं करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यही निवेदन है कि उत्तरदाता क्रमांक 05 एन आ ंइ टी के खण्ड 18(A) को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि वह ₹5,000 की आज्ञापक गैर–वापसी योग्य प्रोसेसिंग फीस जमा कर पाने में विफल रहा है, किन्तु विद्वान् महाधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उत्तरदाता क्रमांक05 ने शुद्धिपत्र दिनांक 03.01.2023 के अनुसार ₹5000 की आवश्यक गैर–वापसी योग्य फीस के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत कर दिया है, इसलिये, वित्तीय बोली को खोला गया था आ ैर उत्तरदाता क्रमांक05 को 'एल–1' के रूप में घोषित किया गया था ।

22. यह भी उचित होगा कि अधिनियम, 2001 की धारा 6(3) एवं 6(4) के सार को निकाला जाये, जिसे सरल संदर्भ हेतु नीचे पुनः प्रस्तुत

किया जा रहा है:–

> *"6. **समितियों का अवांछनीय नामों से पंजीकृत नहीं होना।–***
>
> *x x x*
>
> *(3) एक समिति, रजिस्टार को लिखित में पूर्व सूचना के साथ, अपना नाम एक विशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित कर सकता है।*
>
> *(4) यह नाम का परिवर्तन समिति या किसी सदस्य के किसी अधिकार या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा या उसके और किसी सदस्यों के लिये या उनके विरूद्ध किसी कार्यवाही या अन्य वैधानिक कार्यवाहियों को जो समिति के पूर्व नाम से उसके लिये या विरूद्ध जारी या प्रारंभ है, दोषपूर्ण नहीं करेगा और समिति के नये नाम से उसके लिये या विरूद्ध वैसे ही जारी या प्रारंभ रहेंगे।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अधिनियम, 2001 की धारा 6(3) एवं 6(4) का अवलोकन मात्र यह दर्शित कर रहा है कि समिति, रजिस्टार को लिखित में पूर्व सूचना के साथ, अपना नाम एक विशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित कर सकता है और नाम में परिवर्तन समिति या किसी सदस्य के किसी अधिकार या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा या उसके और किसी सदस्यों के लिये या उनके विरूद्ध किसी कार्यवाही या अन्य वैधानिक कार्यवाहियों को जो समिति के पूर्व नाम से उसके लिये या विरूद्ध जारी या प्रारंभ हैं, दोषपूर्ण नहीं करेगा

आौर समिति के नये नाम से उसके लिये या विरूद्ध वैसे ही जारी या प्रारंभ रहेंगे।

<u>याचिकाकर्ता द्वारा अवलंबित न्याय दृष्टांत :</u>

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पायनियर प्रोटेक्टिव ग्लास फाइबर प्रा. लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अग्रलिखित अनुसार अवधारित कियें हैं:

> *"19. धारा 23 की उपधारा (3) में उपबंधित है कि नाम में परिवर्तन कंपनी के किसी अधिकार या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा और पुराने नाम में कानूनी कार्यवाही दोषपूर्ण नहीं होगी बल्कि कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध उसके नए नाम से जारी रहेगा। धारा में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कंपनी" है न "पुरानी कंपनी", या "नई कंपनी", या "विघटित कंपनी"। इस बात के भी संकेत मिले हैं कि नाम बदलने के बावजूद अस्तित्व जारी रहता है।*
>
> *20. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि नाम बदलने पर कोई कंपनी भंग नहीं हो जाती और न ही कोई नई कंपनी अस्तित्व में आती है। इसका अर्थ यह है कि नाम बदलने के बाद यदि कोई कंपनी अपने पुराने नाम से कोई विधिक कार्यवाही प्रारंभ या संस्थित करती है तो यह महज गलत विवरण का प्रकरण होगा, न कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कार्यवाही शुरू करने का प्रकरण, जो अस्तित्व में नहीं है।''

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सिंभावली शुगर मिल्स लिमिटेड, सिंभावली** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अग्रलिखित अनुसार अवधारित कियें हैं:

"10. धारा 23 की उपधारा (3) से यह स्पष्ट है कि नाम बदलने से पुरानी कंपनी का संविधान नहीं बदलता है। धारा यह उपबंध या संकेत नहीं करता है कि नए नाम से पंजीकरण का नया प्रमाण पत्र जारी होने पर, मौजूदा कंपनी विघटित हो जाएगी और नई कंपनी अस्तित्व में आ जाएगी । दूसरी ओर, धारा 23 की उपधारा (3) उपबंधित करती है कि नाम परिवर्तन से कंपनी के किसी अधिकार या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पुराने नाम पर लंबित कानूनी कार्यवाही अप्रभावी नहीं होगी बल्कि कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध नए नाम से जारी रहेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने (1985) (3) कंपनी लॉ जर्नल पृष्ठ 309 में व्यक्त किया है कि अधिनियम की धारा 23 (3) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कंपनी" है न कि "पुरानी कंपनी" या "नई कंपनी" या "विघटित कंपनी"। ये इस बात का और संकेत हैं कि नाम बदलने के बावजूद भी अस्तित्व जारी है। ***एआईआर 1954 मद्रास 802*** *में*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशित ***डी. श्रीनिवासैया विरूद्ध वेल्लोर वेरा लक्ष्मी बैंक सीमित*** *के प्रकरण में, कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 11(6) के प्रावधान पर विचार करते समय, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 23 के समान है, यह माना गया है कि उक्त धारा का उद्देश्य यह प्रावधान करना था कि नाम में परिवर्तन के बावजूद कंपनी की कानूनी स्थिति में परिवर्तन होगा क्योंकि इसका निगमन किसी भी तरह से नाम के परिवर्तन से प्रभावित नहीं हुआ था। इसमें वही अधिकार बने रहेंगे और परिवर्तन से पहले की तरह ही दायित्व भी उसी के अधीन रहेगा। हमारे न्यायालय की एक खंडपीठ ने* ***एआईआर 1955 अलाहाबाद 192*** *में प्रकाशित* ***एफ.एस. अब्दुल कयूम विरूद्ध मनिंद्र लैंड एंड बिल्डिंग कॉरपोरेशन*** *के प्रकरण में, कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 11(6) के प्रावधान पर विचार करते हुए यह माना कि प्रकरण के लंबित रहने के दौरान वादी कंपनी के नाम में परिवर्तन से कंपनी के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए यदि डिक्री कंपनी के पुराने नाम से पारित की जाती है तो कंपनी उसे अपने नए नाम से निष्पादित कर सकती है। उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, यह न्यायालय इस विचार पर है कि नाम परिवर्तन द्वारा वाद के कारण*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शीर्षक में संशोधन के लिए वादी के आवेदन को निचली अदालत द्वारा सही रूप से अनुमति दी गई थी और संशोधन में गुण–दोष का अभाव है और इसे व्यय के साथ खारिज किया जाना चाहिए। चूंकि प्रकरण काफी विलंबित हो चुका है, इसलिए यह वांछनीय है कि निचली अदालत मुकदमे की सुनवाई यथाशीघ्र आगे बढ़ाए।''

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मेसर्स इनोविजन लिमिटेड (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में अग्रलिखित अनुसार अवधारित कियें हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"7. याचिकाकर्ता को इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसका नया नाम कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लाया गया। याचिकाकर्ता ने इसके लिए एक आवेदन किया था, जैसा कि अनुलग्नक पी–11 और पी–12 (संक्षिप्त) के रूप में प्रस्तुत अनुलग्नकों से स्पष्ट है, जिन्हें प्रत्युत्तर द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया था। याचिकाकर्ता ने कंपनी के नाम में परिवर्तन के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को पत्र लिखा था और उनसे कंपनी का नया नाम अद्यतन करने का अनुरोध किया था। इसी तरह याचिकाकर्ता ने क्षेत्रीय

निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम को एक पत्र लिखकर कंपनी के नाम में परिवर्तन की जानकारी दी और उनसे नया नाम अभिलेख पर लाने का अनुरोध किया।''

27. याचिकाकर्ता के विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अवलंबित न्याय दृष्टांत अलग आधारों पर है आ ौर वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से यह भिन्नता रखते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने उसके नाम परिवर्तन के तथ्य से राज्य प्राधिकारियों को अवगत नहीं करवाया है आ ौर प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार आ ॉफ सोसायटी द्वारा जारी किया गया है न कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>राज्य/उत्तरदातागण क्रमांक 1 से 4 द्वारा अवलंबित न्याय दृष्टांत :</u>

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बालाजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अग्रलिखित अनुसार अवधारित कियें हैं:

"9. अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज करने के लिए पारित किए गए प्रश्नगत निर्णय और आदेश का सवाल है, उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई निविदा शर्तों/खंडों में से एक थी। उच्च न्यायालय ने खंड 1.12 (V) प्रदान करने के औचित्य को विशेष रूप से देखा और नोट किया है। उक्त धारा सभी निविदाकर्ताओं/बोली लगाने वालों पर लागू होनी थी। यह नहीं कहा जा सकता कि यह धारा किसी विशेष बोली लगाने वाले के लिए बनाई गई

थी। यह सभी पर लागू थी। स्वामी को हमेशा पात्रता मानदंड और/या बोली की शर्तें बताने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जब तक कि यह मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और/या तद्नुकूल न पाया जाए। बोली लगाने वाले/निविदाकर्ता को बोली की शर्त/धारा को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो उसके अनुकूल न हो और/या उसके लिए सुविधाजनक न हो। कानून के स्थापित प्रस्ताव के अनुसार यह संभावित बोली लगाने वाले/निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर विचार करते हुए प्रतिस्पर्धा करने और निविदा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एन.जी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अग्रलिखित अनुसार अवधारित कियें हैं:

"23. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर, रिट न्यायालय को किसी निविदाकर्ता की बोली स्वीकार करने या न करने के मामले में नियोक्ता के निर्णय पर अपना निर्णय थोपने से बचना चाहिए। न्यायालय के पास राज्य की वर्तमान आर्थिक गतिविधियों की शर्तों और नियमों की जांच करने की विशेषज्ञता नहीं है और इस सीमा को

ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालयों को तकनीकी मुद्दों से जुड़े अनुबंधों में हस्तक्षेप करने में और भी अधिक अनिच्छुक होना चाहिए क्योंकि ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। न्यायालय का दृष्टिकोण अपने हाथों में आवर्धक लेंस लेकर दोष ढूंढने का नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया निविदा शर्तों द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद है। यदि न्यायालय को लगता है कि इसमें पूरी तरह से मनमानी की गई है या निविदा को दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रदान किया गया है, तब भी न्यायालय को निविदा प्रदान करने में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, बल्कि अनुबंध के निष्पादन पर रोक लगाने के बजाय पक्षों को गलत तरीके से बहिष्कृत किए जाने के लिए क्षतिपूर्ति मांगने के लिए बाध्य करना चाहिए। निविदा में निषेधाज्ञा या हस्तक्षेप से राज्य पर अतिरिक्त लागत आती है और यह सार्वजनिक हित के भी विरुद्ध है। इसलिए, राज्य और उसके नागरिकों को दोहरा नुकसान होता है, पहला, लागत में वृद्धि का भुगतान करके और दूसरा, उस बुनियादी ढांचे से वंचित होकर जिसके लिए वर्तमान सरकारों से काम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने की उम्मीद की जाती है।"

30. अभिलेख में उपलब्ध सामग्री दर्शित करते हैं कि प्रथम अवसर पर निविदा जारी दिनांक27.10.2022, याचिकाकर्ता ने भाग लिया आैर बोली लगाने वाला जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अस्तित्व–हीन होने के आधार पर उसकी बोली निरस्त की गर्इ थी, तब याचिकाकर्ता इस तथ्य से अवगत था कि उसे द्वितीय अवसर पर निविदा में समान लॉगिन आर्इ०डी० से भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है आैर इस तथ्य के होते हुये भी, उसने र्इएमआरर्इ ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के नाम आैर शैली के नवीन लॉगिन आर्इ०डी० से स्वयं को नामांकित किये जाने हेतु कोर्इ गंभीर प्रयास नहीं किया था। आगे यह भी दर्शित हो रहा है कि जब निविदा को माह अक्टूबर 2022 में जारी किया गया था, याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तावित बोली को इसी आधार पर निरस्त किया गया था। तथापि पश्चात् में द्वितीय अवसर पर निविदा दिनांक 14.12.2022 को किया गया आैर क्योंकि जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अस्तित्व–हीन है, इसके नाम से आवेदित दस्तावेज को सही रूप में निरस्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **(1994) 6 एससीसी 651** में प्रकाशित **टाटा सेलुलर विरूद्ध भारत संघ** के प्रकरण में यह अवधारित किये हैं कि न्यायालय को निविदा कार्यवाही में हस्तक्षेप आैर न्यायिक समीक्षा करने से बचना चाहिये आैर यह तभी अनुमत है जब उत्तरदाता–नियोक्ता द्वारा की गर्इ कार्यवाही में मनमानापन हो या जहाँ कोर्इ पक्षपात हो या सही व्यक्ति या सही आशय को चुनने के अधिकार में मनमानी शक्ति हो।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित निर्णय में दिशा निर्देश जारी किये हैं कि किन परिस्थितियों में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों का प्रयोग संविदा मामलों में किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित है:

> *"77. न्यायालय का कर्तव्य है कि वह स्वयं को वैधता के प्रश्न तक सीमित रखे। उसका सरोकार होना चाहिए:*
>
> *1. क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है?*
>
> *2. कानून की कोई गलती की गई है,*
>
> *3. प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया गया है,*
>
> *4. ऐसा निर्णय लिया जिस पर कोई भी उचित न्यायाधिकरण नहीं पहुंच सकता था या,*
>
> *5. अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।*
>
> *इसलिए, यह निर्धारित करना न्यायालय का काम नहीं है कि कोई विशेष नीति या उस नीति की पूर्ति में लिया गया कोई विशेष निर्णय उचित है या नहीं। यह केवल इस बात से संबंधित है कि वे निर्णय किस तरह लिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य की सीमा प्रत्येक मामले में अलग–अलग होगी। संक्षेप में कहें तो, जिन आधारों पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है, उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) अवैधता: इसका अर्थ है कि निर्णयकर्ता को उस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और उसे लागू करना चाहिए।

(ii) अतार्किकता, नामतः वेडनेसडे अनरिसनेबलनेस।

(iii) प्रक्रियागत अनुचितता।

उपरोक्त केवल व्यापक आधार हैं, लेकिन समय के साथ इसमें अन्य आधार जोड़े जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में, ***(1991) 1 एसी 696*** *में प्रकाशित* ***आर. विरूद्ध सचिव, राज्य गृह विभाग, पूर्व ब्रिंद*** *में, लॉर्ड डिप्लॉक ने विशेष रूप से एक विकास का उल्लेख किया है, नामतः आनुपातिकता के सिद्धांत की संभावित मान्यता। इन सभी मामलों में अपनाया जाने वाला परीक्षण यह है कि अदालत को "इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कुछ ऐसी प्रकृति और डिग्री की गलती हुई है जिसके लिए उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता है"।*

"92. **(1993) 1 एससीसी 445** में प्रकाशित **स्टर्लिंग कंप्यूटर्स सीमित विरूद्ध एम एंड एन पब्लिकेशन्स सीमित** में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 455, पैरा 12)

" वाणिज्यिक तत्व वाले अनुबंधों मे,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिकारियों को कुछ अधिक विवेकाधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वे राजस्व में वृद्धि पर नज़र रखते हुए व्यक्तियों के साथ अनुबंध कर सकें। लेकिन ऐसे मामलों में भी उन्हें सार्वजनिक संपत्ति से निपटने के दौरान अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त मानदंडों का पालन करना होगा। न्यायालयों के लिए किसी प्राधिकरण द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर प्रश्न उठाना और उस पर निर्णय देना संभव नहीं है, क्योंकि कई सरकारी उपक्रमों ने समय के साथ उत्पादों की बिक्री और खरीद के मामलों में एकाधिकार प्राप्त कर लिया है और उनके पास बहुत सारे उपक्रम है, वे यह दलील दे सकते हैं कि अनुबंध प्रदान करते समय अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण की तरह कार्य करना हमेशा संभव नहीं होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुबंध करने वाले अधिकारियों को विवेकाधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वे समग्र स्थिति का आकलन कर सकें और निर्णय ले सकें कि अनुबंध किसे और किन शर्तों पर दिया जाए। यदि निर्णय सद्भावनापूर्ण तरीके से लिए गए है, यद्यपि न्यायालयों द्वारा निर्धारित मानदंडों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है, तो ऐसे निर्णयो को न्यायमूर्ति होम्स द्वारा निर्धारित सिद्धांत पर बरकरार रखा जाता है, कि कार्यकारी निर्णयों की संवैधानिक वैधता का न्याय करते समय न्यायालयों को कार्यकारी को 'युगल में खेलने' की स्वतंत्रता का एक निश्चित उपाय प्रदान करना चाहिए।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **(2012) 8 एससीसी 216** में प्रकाशित **मिशिगन रबर (इंडिया) लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य** के प्रकरण में न्यायिक समीक्षा हेतु क्या कार्यवाही की जा सकती है को विचार किया आौर यह अवधारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"23. उपरोक्त निर्णयों से अग्रलिखित सिद्धांत प्रकट होते है:

(क) अनुच्छेद 14 की मूल आवश्यकता है राज्य द्वारा की गयी कार्यवाही में निष्पक्षता आौर सार व तत्व में अमनमानापन निष्पक्ष कार्य की धड़कन है। ये कार्यवाहियां न्यायिक समीक्षा के लिए केवल उस सीमा तक उत्तरदायी है जहां राज्य को स्पष्ट कारण से वैध कार्य करना है आौर किसी परोक्ष कारण के लिए मनमर्जी से नहीं। यदि राज्य उचितता कि सीमाआों के अंदर कार्य करता है, यह

वैध होगा कि राष्ट्रीय प्राथमिकताआें पर विचार किया जावे;

(ख) निविदा का मूल्य निर्धारित करना पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है और न्यायालयों की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है, सिवाय कार्यपालिका के ऐसे कार्यों को रद्द करने के जो मनमाने या अनुचित साबित हों। यदि सरकार कुछ स्वस्थ मानकों और मानदंडों के अनुरूप कार्य करती है जैसे कि निविदाएं आमंत्रित करके अनुबंध प्रदान करना, तो उन परिस्थितियों में न्यायालयों का हस्तक्षेप बहुत सीमित है;

(ग) निविदा दस्तावेज की शर्तें तैयार करने और अनुबंध प्रदान करने के मामले में राज्य प्राधिकारियों को अधिक स्वतंत्रता दिए जाने की आवश्यकता है, जब तक कि निविदा प्राधिकारी की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण न पाई जाए और उसकी वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए, न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता न हो;

(घ) निविदाओं के लिए कुछ पूर्व शर्तें या योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिए ताकि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठेकेदार के पास कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की क्षमता और संसाधन है; और

(इ) यदि राज्य या उसके साधन अनुबंध देने में उचित, निष्पक्ष और सार्वजनिक हित में कार्य करते है, तो यहां भी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप बहुत प्रतिबंधात्मक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सरकार के साथ व्यापार करने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **(2016) 16 एससीसी 181** में प्रकाशित **एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विरूद्ध नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य** के प्रकरण में यह माना कि बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने में हस्तक्षेप केवल तभी स्वीकार्य है, जब निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिकारियों के तर्कसंगत के रूप में कानून के अनुसार कार्य न करते हुए तर्कहीन निर्णय हुआ हो।

34. टाटा सेलुलर (पूर्वोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि निविदा आमंत्रण की शर्तों की न्यायिक जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि निविदा आमंत्रण अनुबंध के दायरे में आता है। यह निर्धारित किया गया है कि निविदा स्वीकार करने या अनुबंध प्रदान करने का निर्णय न केवल तर्कसंगतता के *वेडनसबरी* सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा परखा जाना चाहिए, बल्कि यह मनमानी से मुक्त होना चाहिए, पक्षपात से प्रभावित नहीं होना चाहिए या

दुर्भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए।

35. (2020) 16 **एससीसी 489** में प्रकाशित **शिल्पी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स विरूद्ध भारत संघ** के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में निम्नानुसार निर्णय दिया:

> *"19. मौलिक अधिकारों का संरक्षक होने के नाते यह न्यायालय मनमानी, तर्कहीनता, दुर्भावना और पक्षपात होने पर हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है। हालाँकि, इस न्यायालय ने उपरोक्त सभी निर्णयों में बार-बार चेतावनी दी है कि न्यायालयों को संविदात्मक या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय बहुत संयम बरतना चाहिए। यह न्यायालय आम तौर पर संविदात्मक मामलों में हस्तक्षेप करने से कतराता है, जब तक कि मनमानी या दुर्भावना या पक्षपात या तर्कहीनता का स्पष्ट मामला न बन जाए। यह याद रखना चाहिए कि आज कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। निजी पक्षों के बीच किए गए अनुबंध रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जांच के अधीन नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य निकाय निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य हैं और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन हैं, लेकिन इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग बहुत संयम और सावधानी के साथ*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया जाना चाहिए। न्यायालयों को अपनी सीमाओं और वाणिज्यिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप से होने वाले प्रलय का एहसास होना चाहिए। तकनीकी मुद्दों से जुड़े अनुबंधों में न्यायालयों को और भी अधिक अनिच्छुक होना चाहिए क्योंकि हममें से अधिकांश न्यायाधीशों के पास अपने क्षेत्र से बाहर तकनीकी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है। जैसा कि ऊपर उद्धृत निर्णयों में कहा गया है कि न्यायालयों को निविदाओं को स्कैन करते समय आवर्धक लैंस का उपयोग नहीं करना चाहिए और हर छोटी गलती को बड़ी भूल की तरह नहीं दिखाना चाहिए। वास्तव में, न्यायालयों को अनुबंध के मामलों में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ "निष्पक्ष व्यवहार" करना चाहिए। न्यायालयों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जहाँ हस्तक्षेप से सरकारी खजाने को अनावश्यक नुकसान हो।

20. उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित कानून का सार संयम और सावधानी बरतना है; राज्य के साधनों से जुड़े अनुबंध के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए जनहित की आवश्यकता; न्यायालयों को विशेषज्ञों की राय को स्वीकार करना चाहिए जब तक कि निर्णय पूरी तरह से मनमाना या अनुचित न

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हो; न्यायालय उपयुक्त प्राधिकारी के ऊपर अपील न्यायालय की तरह नहीं बैठता; न्यायालय को यह समझना चाहिए कि निविदा जारी करने वाला प्राधिकारी इसकी आवश्यकताओं का सबसे अच्छा न्यायाधीश है और इसलिए न्यायालय का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। वह प्राधिकरण जो अनुबंध या निविदा जारी करता है, और जिसने निविदा दस्तावेज लिखे हैं, वह इस बारे में सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि दस्तावेजों की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। यदि दो व्याख्याएँ संभव हैं, तो लेखक की व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए। अदालतें केवल मनमानी, तर्कहीनता, पूर्वाग्रह, दुर्भावना या विकृति को रोकने के लिए हस्तक्षेप करेंगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. हाल ही में, **सिविल अपील क्रमांक 3897/2023** में दिनांक 19.05.2023 के निर्णय के माध्यम से निराकृत **टाटा मोटर्स सीमित विरूद्ध बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) और अन्य** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"48. मौलिक अधिकारों का संरक्षक होने के नाते यह न्यायालय मनमानी, तर्कहीनता, दुर्भावना और पक्षपात होने पर हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है। हालाँकि, इस न्यायालय ने बार-बार चेतावनी दी है कि न्यायालयों को संविदात्मक या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक

समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय बहुत संयम बरतना चाहिए। यह न्यायालय सामान्यतः संविदात्मक मामलों में हस्तक्षेप करने से कतराता है, जब तक कि मनमानी या दुर्भावना या पक्षपात या तर्कहीनता का स्पष्ट मामला न बन जाए। यह याद रखना चाहिए कि आज कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। निजी पक्षों के बीच किए गए अनुबंध रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जांच के अधीन नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य निकाय निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य हैं और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन हैं, लेकिन इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग बहुत अधिक संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। अदालतों को अपनी सीमाओं और वाणिज्यिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप से होने वाले प्रलय का एहसास होना चाहिए। तकनीकी मुद्दों से जुड़े अनुबंधों में अदालतों को और भी अधिक अनिच्छुक होना चाहिए क्योंकि न्यायाधीशों की पोशाक में हममें से अधिकांश के पास अपने क्षेत्र से परे तकनीकी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है। अदालतों को निविदाओं को स्कैन करते समय आवर्धक लैंस का उपयोग नहीं करना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

*चाहिए और हर छोटी गलती को बड़ी भूल की तरह नहीं दिखाना चाहिए। वास्तव में, न्यायालयों को अनुबंध के मामलों में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ "निष्पक्ष व्यवहार" करना चाहिए। न्यायालयों को ऐसे मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जहाँ हस्तक्षेप से सरकारी खजाने को अनावश्यक नुकसान हो। (देखें: **शिल्पी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स** (पूर्वोक्त))।*

52. समान्यतः, रिट न्यायालय को निविदाकर्ता की बोली स्वीकार करने या न करने के मामले में नियोक्ता के निर्णय पर अपना निर्णय थोपने से बचना चाहिए, जब तक कि कोई बहुत गंभीर या स्पष्ट बात न बताई जाए। न्यायालय को आम तौर पर निविदा या अनुबंध से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब अनुबंध पर काम चल रहा है, उस समय पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द करना जनहित में नहीं होगा। इस स्तर पर नई निविदा प्रक्रिया शुरू करने में बहुत समय लग सकता है और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो सकता है। यदि न्यायालय नए सिरे से निविदा नोटिस जारी करने का निर्देश देता है तो राज्य को सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ/प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए। यह इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्ट है, ***(2005) 1 एससीसी 679*** *में प्रकाशित* ***एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया आ ैर अन्य।***

53. ***(2000) 2 एससीसी 617*** *में प्रकाशित* ***एयर इंडिया सीमित विरूद्ध कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीमित*** *में राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों द्वारा अनुबंध दिए जाने से संबंधित कानून की समीक्षा की गई और यह माना गया कि अनुबंध दिया जाना, चाहे निजी पक्ष द्वारा हो या राज्य द्वारा, अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक लेनदेन है। यह किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए अपना स्वयं का तरीका चुन सकता है और यदि निविदा की शर्तें ऐसी छूट की अनुमति देती हैं, तो यह सद्भावपूर्ण कारणों से कोई भी छूट देने के लिए स्वतंत्र है। यह भी माना गया कि राज्य, उसके निगमों, साधनों और एजेंसियों का यह सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे सभी संबंधितों के प्रति निष्पक्ष रहें। यहां तक कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई दोष पाया जाता है, तो न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए और इसका प्रयोग केवल सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, न कि केवल कानूनी मुद्दे को उठाने के लिए। न्यायालय को हमेशा व्यापक जनहित को ध्यान में रखना चाहिए*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ताकि यह तय किया जा सके कि उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं। न्यायालय को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्यापक जनहित में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

*54. जैसा कि इस न्यायालय ने **(2007) 14 एससीसी 517** में प्रकाशित **जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य** में उल्लेख किया है, कि निविदाओं या अनुबंधों को प्रदान करने के प्रकरणों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करते समय, कुछ विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि निविदाओं का मूल्यांकन और अनुबंधों को प्रदान करना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक कार्य हैं और ऐसे मामलों में समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दूर रहते हैं। यदि अनुबंध प्रदान करने से संबंधित निर्णय सद्भावनापूर्ण है और सार्वजनिक हित में है, तो न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करके हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भले ही प्रक्रियागत विचलन या मूल्यांकन में त्रुटि या निविदाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह हो। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग सार्वजनिक हित की कीमत पर निजी हितों की रक्षा करने या संविदा संबंधी विवादों का फैसला करने के लिए नहीं किया जाएगा।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के साथ–साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए, यदि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया जाए, तो याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि उत्तरदाता प्राधिकारी इस तथ्य को समझने में विफल रहे हैं कि याचिकाकर्ता का संगठन अभी भी अस्तित्व में है और केवल नाम में परिवर्तन हुआ था, जिसे तेलंगाना के समिति रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया गया है और 'जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट' से 'ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज' नाम बदलने से याचिकाकर्ता के संगठन के अनुभव और योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ा है, सही प्रतीत नहीं होता है और उत्तरदाता राज्य के द्वारा इसे सही रूप से खारिज कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में उत्तरदाता क्रमांक 5 के पक्ष में पक्षपात किया जाना अभिवचनित किया है, जबकि वह ₹5,000 की आज्ञापक गैर–वापसी योग्य प्रोसेसिंग फीस जमा करने में विफल रहा है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णयों में माना है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते समय निर्णय नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालय निविदा जारी करने वाले प्राधिकरण के निर्णयों पर अपील नहीं करेंगे, हमें उत्तरदाता प्राधिकारीगण की निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई मनमानी या अनुचितता नहीं दिखती है।

39. प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता के पास अस्वीकृति को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अस्वीकृति'जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट' बोली लगाने वाले की है न कि 'ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज'

की। यह भी दर्शाया गया है कि जीव्हीके इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूटऔर ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज से नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी, तेलंगाना द्वारा जारी किया गया है, न कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। इसके अलावा, अभिलेख से यह भी पता चला है कि याचिकाकर्ता ने अक्टूबर, 2022 के महीने में जारी किए गए टेंडर के पहले अवसर से अपनी अस्वीकृति को चुनौती नहीं दी है, जिसे उसी आधार पर खारिज कर दिया गया था। प्रथम निविदा की अस्वीकृति को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। तथ्यों को जानने के बाद, याचिकाकर्ता ने दूसरी निविदा में भाग लिया था, जिसे भी दिनांक 28.02.2023 (अनुलग्नक पी/10) के प्रश्नगत ई-मेल द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि "बोली की तिथि अर्थात 09.01.2023 को बोली लगाने वाला जीव्हीके ईएमआरआई अस्तित्व में नहीं है", जिसे याचिकाकर्ता ने तत्काल रिट याचिका दायर करके चुनौती दी है।

40. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने पर, उत्तरदाता प्राधिकारीगण की कार्रवाई मनमानी है और उत्तरदाता क्रमांक 5 के पक्ष में काम देने का निर्णय दुर्भावना या पक्षपात से प्रेरित है, हमें यह प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारे विचारणीय राय में, उत्तरदाता प्राधिकारीगण ने एनआईटी में निर्धारित शर्तों के अनुसार काम प्रदान किया है और इस तरह का अनुबंध देने का निर्णय अनुचित या अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

41. उपर्युक्त कारणों से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस रिट याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार हमें नहीं मिलता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. रिट याचिका में गुण–दोष का आभाव है, जो कि खारिज किए जाने योग्य है आ ैर ए ेसा किया जा रहा है।

43. अंतरिम आदेश दिनांक 17.03.2023 निरस्त किया जाता है।

सही/–
(राकेश मोहन पाण्डे)
न्यायाधीश

सही/–
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधिपति

आदेश दिनांक : 19.06.2023

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**